

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील
चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.- 148 / 13

संस्थित दिनांक- 18.05.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र पिपरई
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

राजेश उर्फ राजेन्द्र पुत्र कन्छेदी अहिरवार उम्र 25 साल
निवासी- मनिहारी चक मोहरी तहसील पिपरई
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

-: निर्णय :-

(आज दिनांक को घोषित)

- 01- अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा-354 बी, 323, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप है कि उसने दिनांक 21.03.2013 को समय 11:00 बजे फरियादी रामरतन के घर के सामने फरियादी की पुत्री रश्मी जो एक स्त्री है को निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा उसे स्वेच्छया उपहति कारित कर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रामरतन व पत्नी रजनी बाई मजदूरी पर खेत में चना काट रहे थे तथा उनकी लडकी रश्मि घर पर अकेली थी तो वहां अभियुक्त राजेन्द्र ने घर आकर फरियादी की लडकी रश्मि के गाली-गलोंच दिये थे जिसके बारे में रश्मि ने अपनी मां को खेत पर जाकर बताया। उक्त घटना के संबंध में फरियादी ने एक लिखित आवेदन प्रदर्श पी-1 अभियुक्त राजेन्द्र के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई में कार्यवाही किये जाने बाबत दिया था। उक्त आवेदन के आधार पर पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक-70/13 अंतर्गत धारा-354 बी,

323, 506बी भा0द0स0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.03.17 को फरियादी रामरतन, राजन बाई व नाबलिंग रश्मि के द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2), 320 (4) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये। जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा—323, 506बी भा0द0वि0 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा—354 बी शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया तथा प्रकरण में विचारण चाहा। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0स0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.03.2013 को समय 11:00 बजे फरियादी रामरतन के घर के सामने फरियादी की पुत्री रश्मी जो एक स्त्री है को निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

- 06— प्रकरण में हुये राजीनामों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये अभियोजन की ओर से प्रकरण में फरियादी रामरतन (अ0सा0—1), रजनी बाई (अ0सा0—2) चंदा बाई (अ0सा0—4) व रश्मि (अ0सा0—3) के कथन न्यायालय में कराये।
- 07— रामरतन (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि चार वर्ष पूर्व की घटना है, उस समय वह अपने परिवार के साथ खेत पर चना काटने गया था। इस साक्षी कहना है कि 10—11 बजे उसकी लडकी ने आकर बताया था कि किसी व्यक्ति ने घर के बाहर आकर शराब पीकर उसे गालियां दी थी तथा उसके चिल्लाने पर वह व्यक्ति वहां से भाग गया। रामरतन (अ0सा0—1) के उपरोक्त कथनों की पुष्टि करते हुये रजनी बाई (अ0सा0—2) व चंदा बाई (अ0सा0—4) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में यह बताया है कि रश्मि (अ0सा0—4) ने उन्हें बताया था कि किसी व्यक्ति ने उसे शराब के नशे में घर पर आकर गालियां दी थी तथा उस समय वह लोग खेत पर चना काटने गये थे।

- 08— अभियोजन कहानी के अनुसार फरियादी रामरतन व उसकी पत्नी घटना के समय मजदूरी पर चना काटने गये थे तथा उसकी लडकी रश्मि बाई (अ0सा0-4) घर पर अकेली थी तो उस समय अभियुक्त राजेन्द्र सिंह ने रामरतन के घर पर जाकर रश्मि (अ0सा0-4) के गाल नौच लिये थे, जिसके बारे में रश्मि (अ0सा0-4) ने अपनी मां रजनी बाई (अ0सा0-2) को खेत पर आकर बताया था तथा रजनी बाई (अ0सा0-2) ने घटना की जानकारी अपने पति रामरतन (अ0सा0-1) को दी थी, जिसके बाद रामरतन (अ0सा0-1) पुलिस थाना पिपरई में कार्यवाही करने बाबत लेखिये आवेदन प्रदर्श पी 1 प्रस्तुत किया था।
- 09— फरियादी रामरतन (अ0सा0-1) घटना का अनुश्रुत साक्षी है जो प्रदर्श पी 1 का आवेदन थाने पर न देना बताता है, और न ही उक्त आवेदन थाने पर लेख कराना बताता है इस साक्षी का कहना है कि उसने घटना की जानकारी थाने पर दी थी जहां प्रदर्श पी 1 पर उसके हस्ताक्षर कराये गये थे। उक्त आवेदन में क्या लिखा है कि इसकी जानकारी उसे नहीं है। प्रदर्श पी 1 के आवेदन में इस आशय की कोई घटना लेख नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी की पुत्री को निवस्त्र करने का प्रयास किया था।
- 10— रामरतन (अ0सा0-1), रजनी बाई (अ0सा0-2) व चंदा बाई (अ0सा0-4) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथनों से यह तो स्पष्ट होता है कि यह तीनों ही साक्षी घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी नहीं हैं बल्कि अनुश्रुत साक्षी हैं जिनको रश्मि (अ0सा0-3) के द्वारा बताया गई घटना के अनुसार घटना की जानकारी हैं। इन तीनों साक्षियों का यह कहना है कि घटना के समय वह खेत पर चना काट रहे थे तथा रश्मि (अ0सा0-3) घर पर अकेली थी। रामरतन (अ0सा0-1), रजनी बाई (अ0सा0-2) व चंदा बाई (अ0सा0-4) के कथनों से यह भी स्पष्ट होता है कि रश्मि (अ0सा0-3) के द्वारा उन्हें अभियुक्त का नाम नहीं बताया गया, बल्कि मात्र किसी व्यक्ति द्वारा गाली दिये जाने के संबंध में बताया था।
- 11— रामरतन (अ0सा0-1), रजनी बाई (अ0सा0-2) व चंदा बाई (अ0सा0-4) ने अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया कि रश्मि (अ0सा0-3) उन्हें यह घटना बताई थी कि अभियुक्त ने उसके गाल नौच लिये हैं तथा उसकी चड्डी निकाल दी थी। अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में स्वयं नाबलिग रश्मि (अ0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये हैं जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में पीडित होकर घटना की एक मात्र प्रत्यक्ष साक्षी हैं। रश्मि (अ0सा0-3) ने अपने न्यायालीन कथनों में बताया है कि वह अभियुक्त को जानती है। घटना सुबह के समय की उस समय उसके माता पिता भाई-बहन सब खेत पर गये थे और वह घर के बाहर खेल रही थी, तो वहा पर एक आदमी शराब पीकर आया और उसे गालियां देने लगा, तो आस पड़ोस के लोगों ने उसे भगा दिया था। रश्मि (अ0सा0-3) ने अभियुक्त को पहचान कर न्यायालय में कथन दिये कि जिस व्यक्ति ने शराब पीकर उसे गालियां दी थी वह व्यक्ति अभियुक्त नहीं था।
- 12— अतः रश्मि (अ0सा0-3) के अनुसार अभियुक्त के द्वारा कोई घटना ही कारित नहीं की गई और न ही उसने अभियुक्त का नाम अपने माता-पिता को बताया था। रामरतन

(अ0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में प्रदर्श पी 1 के आवेदन पर अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किये हैं। उक्त प्रदर्श पी 1 का आवेदन वही दस्तावेज है जिसके आधार पर अभियुक्त विरुद्ध इस प्रकरण की कार्यवाही संस्थित की गई थी। उक्त आवेदन में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि रामरतन (अ0सा0-1) को उसकी लड़की ने किसी व्यक्ति के बारे में घटना कारित करने की जानकारी दी थी उसका नाम नहीं बताया था तथा आवेदन के अनुसार बाद में यह पता चला था कि वह व्यक्ति अभियुक्त राजेन्द्र है।

- 13— अतः प्रदर्श पी 1 के आवेदन से ही यह स्पष्ट होता है कि रश्मि (अ0सा0-3) के द्वारा अपने माता पिता को अभियुक्त का नाम नहीं बताया गया। स्वयं रश्मि (अ0सा0-3) ने जो कि घटना की एक मात्र प्रत्यक्ष साक्षी है, अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने से ही इन्कार करती है तथा इस साक्षी ने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे शराब पीकर गालिया दिया जाना अपने न्यायालीन कथनों में बताया है अतः अभिलेख पर अभियुक्त की घटना स्थल पर उपस्थिति एवं अभियुक्त के द्वारा ही घटना कारित किया जाना प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 14— यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि नाबलिंग रश्मि (अ0सा0-4) कि किशोर अवस्था के कारण अभियुक्त को नहीं पहचान सकी तब भी अभियुक्त द्वारा शराब पीकर गालिया देना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभियुक्त ने फरियादी पर उसे निवस्त्र करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया। रश्मि (अ0सा0-4) जो कि घटना स्वयं पीडित है मात्र अज्ञात व्यक्ति द्वारा शराब पीकर गालियां दिया जाना बताती है। वहीं अन्य साक्षी भी रश्मि (अ0सा0-3) के कथनों के सामान ही मात्र किसी व्यक्ति द्वारा रश्मि को शराब पीकर गालिया दिये जाने की घटना अपने न्यायालीन कथनों में बताती है।
- 15— अभियोजन का समर्थन न करने के कारण सभी साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया। परन्तु रामरतन (अ0सा0-1) रजनी बाई (अ0सा0-2) चंदा बाई (अ0सा0-4) सहित घटना में पीडित रश्मि (अ0सा0-3) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का इस संबंध में लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया कि घटना अभियुक्त द्वारा कारित की गई थी तथा उस घटना में अभियुक्त ने रश्मि (अ0सा0-3) के गाल नौच कर उसकी चूड़ी निकाल दी थी। इन सभी साक्षियों ने पुलिस को भी इस संबंध में कोई कथन न देना बताया है। अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो कि संभवतः प्रकरण में हुये राजीनामों का भी प्रभाव दर्शित करती हैं।
- 16— अभियोजन अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्त ने दिनांक 21.03.2013 को समय 11:00 बजे फरियादी रामरतन के घर के सामने फरियादी की पुत्री रश्मी जो एक स्त्री है को निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।
- 17— फलस्वरूप अभियुक्त राजेश उर्फ राजेन्द्र पुत्र कच्छेदी अहिरवार के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 354 बी के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त राजेश उर्फ राजेन्द्र पुत्र कच्छेदी अहिरवार को भा0दं0वि0 की धारा 354 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

- 18—अभियुक्त राजेश उर्फ राजेन्द्र पुत्र कन्हेदी अहिरवार के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)